सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 326/18 **निर्णय दिनांकः— 15.07.2019**

1. लाधूसिंह
2. शैतानसिंह — पिसरान इसरसिंह
3. आसूसिंह
4. श्रीमती गवराकंवर पत्नि प्रेमसिंह
5. श्रीमती केसरकंवर पत्नि अमरसिंह
6. मदन सिंह
7. डूंगरसिंह — पिसरान अमर सिंह जाति राजपूत
8. कम्माकंवर — निवासीगण नाड़ा अमरपुरा तहसील पूगल
9. अनोपकंवर — जिला बीकानेर।
10. लिच्छूकंवर

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. सावंताराम
2. धन्नाराम — पिसरान भींयाराम जाति राईका निवासी नाडा
3. देवाराम — तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 03—12—2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 03—12—2014 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति मिडियमपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटान के नाम सामलाती खाते में चक 5 सीएम के मुरब्बा नम्बर 27/12 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 27/20 में 6 बीघा, मुरब्बा नम्बर 27/29 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 27/25 में 16 बीघा, मुरब्बा नम्बर 27/4 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 27/22 में 11 बीघा खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट्स अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त के अनुसार काबिज है। इसी मुरब्बें के चिपते चक 5 सीएम में मुरब्बा नम्बर 27/20 के किला नम्बर 8 में 0.03 बीघा, किला नम्बर 13 ता 18, 23, 24 में 8. 03 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 6 में 0.03 बीघा, किला नम्बर 7 में 0.5 बीघा कुल 0.13 बीघा कुल 8.16 बीघा मिडियम पेच के आवंटन हेतु उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के धारण की भूमि भी उसी मुरब्बें में निहित होने के कारण अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट की समान वरियता होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्टस को किया गया है। जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि—धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य काश्तकारों को जारी नोटिस आबाद मकान पर चस्पा बताते हुए उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। जबकि ऐसा कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया था कि जारी नोटिसों को आबाद मकान पर चस्पा किया जावे। जब मकान आबाद अंकित किया गया है तो नोटिस चस्पा करने की आवश्यकता कैस पड़ गई। इसका कोई खुलासा नोटिस की पुश्त पर नहीं किया गया है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। मिडियमपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया मिडियम पेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014 पार्ट II पेज 827, आरआरडी 2006 पेज 397, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1378, आरआरडी 2008 पेज 804, डीएनजे 2018 पेज 618, आरआरडी 1998 पेज 339 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि में स्थित चक 5 सीएम के मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 27/20 के किला नम्बर 8 में 0.03 बीघा, किला नम्बर 13 ता 18, 23, 24 में 8.03 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 6 में 0. 03 बीघा, किला नम्बर 7 में 0.5 बीघा कुल 0.13 बीघा कुल 8.16 बीघा मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मिडियमपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई तथा सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी किये गये। अन्य चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर मिडियमपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि होने पर व अन्य काश्तकारों के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को

किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के पसमर्थन में आरआरडी 1993 पेज 525 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है यह अपील आदेश जारी होने के 3 साल व 9 वर्ष बाद पेश हुआ है। विलम्ब के बारे में अपीलांट्स का कथन है कि आवंटन कार्यवाही उनकी पीठ पीछे की गई है। आवंटन के तीन साल बाद जब आवंटी ने कब्जा लेने की धमकी दी तो उन्हें आदेश की जानकारी मिली। अपीलांट्स ने मियांद बिन्दु का निर्धारण सम्पूर्ण मामलें की गंभीरता के मद्देनजर करने का अनुतोघ किया। उन्होंनें अपने तर्क के समर्थन में यूआईटी बनाम पूनमचन्द के मामलें में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03—02—1997 आरआरडी 1998 की प्रति पेश की जिसमें मामलें के गुणावगुण के संदर्भ में मियांद की छूट को उचित माना गया है। इसी क्रम में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा निर्णित अपील उमर बनाम पोटेंगल सुबिधा वगैरा डीएनजे 2018 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसमें अपील पेश करने से पूर्व दिन—प्रतिदिन के विलम्ब के औचित्य को प्रभावित करना आवश्यक नहीं माना गया है। इसी तरह राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णित निगरानी औद्योगिक खनिज विकास निगम बनाम शिवराज के मामलें में राय प्रकट की गई है कि सारभूत न्याय के मामलों में केवल मियांद जैस तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर निर्णित नहीं करना चाहिए।

रेस्पोडेन्ट्स ने आवंटन प्रक्रिया को विधि सम्मत बताते हुए आवंटन आदेश जारी होने के तीन साल बाद अपील पेश करने को न्यायिक प्रक्रिया के साथ मजाक बताया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 525 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसमें भूमि आवंटन हेतु अन्य आवेदन लम्बित न होने की स्थिति में नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं बताया गया।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, मिडियम पेच के रूप में आवंटन योग्य भूमि के पड़ौसी खातेदार अपीलांट्स लाधुसिंह वगैरा व रेस्पोडेन्ट सांवताराम वगैरा हैं दोनों तरफ के पड़ौसी खातेदारों से अपेक्षा की जाती है कि कि आवंटन योग्य भूमि का अपने पक्ष में आवंटन करवाना चाहते तो सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करते तथा आवंटन प्रक्रिया की जानकारी लेते। रेस्पोडेन्ट/आवेदक सांवताराम वगैरा ने दिनांक 13—09—2014 को तहसीलदार के समक्ष दरखवाश्त पेश की। जिस पर तहसीलदार ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 11—11—2014 को प्रकरण आवंटन अधिकारी ने उसी दिन पड़ौसी खातेदारों को नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस की तामीली उनके आबाद मकान पर चस्पा करने की रिपोर्ट पेश हुई। जिसे समुचित तामील मानकर अन्य पड़ौसियों द्वारा भूमि के आवंटन में रूचि नहीं लेना मानते हुए आवेदक सावंताराम वगैरा के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। सम्मन की तामीली समुचित तरीके से नहीं मानी जा सकती। परन्तु अपीलांट्स के पड़ौसी खातेदार होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे भी आवंटन की इच्छा जाहिर करते तथा इस बाबत् कभी भी आवेदन करते। अपीलांट्स ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है, परन्तु उन्होंने इस बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किया तथा न ही स्पष्ट किया कि आवंटन हेतु आवेदन किये बिना ही कब्जा कि हैसियत से है।

किसी खातेदार के पड़ौस में केवल पड़ौसियों को आवंटन योग्य सरकारी भूमि के वर्षो तक उपलब्ध रहने के उपरान्त आवंटन हेतु आवेदन नहीं करने, अन्य को हो रहे आवंटन की जानकारी नहीं रखने तथा आवंटन हो जाने के 45 माह बाद तक ऐसे आवंटन को चुनौती नहीं देना साबित करता है कि अपीलांट्स उक्त भूमि का आवंटन करवाने के इच्छुक नहीं थे। कालान्तर में रेस्पोडेन्ट/पड़ौसियों से अनबन होने पर 45 माह पूर्व के आवंटन आदेश जिसके तहत रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो को, चुनौती देना मियांद अधिनियम के प्रावधानों का मखौल है। न्यायालयों ने अभिमत प्रकट किया है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में कानूनी अधिकारों का सजृन हुए वर्षो व्यतीत होने के उपरान्त ऐसे अधिकारों को अन्तहीन समय तक चुनौती देना तथा अधिकारों को छिन्न भिन्न करने के प्रयासों को रोकने के लिये ही मियांद अधिनियम की आवश्यकता है। विचाराधीन प्रकरण में रेस्पोडेन्ट

के पक्ष में अधिकारों की स्थापना हुए 3 साल से अधिक समय हो चुका है। अब केवल तकनीकी आधार पर आवंटन को चुनौती देने के पीछे ठोस आधार नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—12—2014 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर